लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
080/2023(सू.अ.) (GCMS 2023/330)	17.11.2023	31.01.2024

अनवान

कैलाशचन्द्र पिता गोपीलाल डाड निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 94147 78419)

अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 04.10.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./080/2023(सू.अ.)(13.12.2023)/869 दिनांक 17.11.2023 से अपील मेमों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया। प्रशासनिक व्यस्तता के कारण प्रकरण में विलम्ब हुआ है।

दिनांक 13.12.2023 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। सहायक लोक सूचना अधिकारी से टिप्पणी/कमेंट्स अप्राप्त रहे। इस पर न्यायालय द्वारा आगामी पेशी दिनांक को सहायक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अधिकारी को व्यक्तिगत तलब किया गया। इस पर दिनांक 20.12.2023 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा प्रथम अपील आवेदन के संबंध में पत्रांक/रीडर//आरटीआई/2023/1069 दिनांक 19.12.2023 से टिप्पणी/कमेंट्स प्रेषित किये गये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर ने अपने टिप्पणी/कमेंट्स में अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 04.10.2023 से वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है, जिसकी अपीलार्थी/आवेदक का सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हमने अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 04.10.2023 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन-पत्र दिनांक 04.10.2023 के बिन्दु संख्या 1 से 5 की सूचना चाही गई है अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर के पास उपलबध नहीं है एवं अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का बिन्दुवार प्रत्युत्तर अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है, ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी से सहमत है जिससे अपील अपीलार्थी सारहीन होकर बलहीन है जिससे खारीज किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर इस तथ्य को बखूबी प्रमाणित कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 04.10.2023 का अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार निस्तारण किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील बलहीन होकर सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 04.10.2023 जो कि सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ बाबत् बलहीन होकर सारहीन से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **31.01.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official